উপরোক्त - [illegible] [illegible] [illegible]

P-1) 2016/95

OFFICE NOTE

sthan

Office

Deptt.

27/04/19

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित भूमि राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 260 के अनुसार अदत्त कोटि की भूमि पर निर्माण-यथास्थिति का अधिकार नहीं है। पत्रावली औचित्यहीन के कारण होने से सही तथ्य पर अभिमत की जाती है। पत्रावली पोषण शुल्क होकर दाखिल दफ्तर है।